

मय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

128/2023

तारीख रजु.....

प्रशांतसिंह

बनाम

षिकी वगैरह

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की तारीख में वकील सायल ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जर्जे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 379, वाके ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज हो तो दिनांक 26.06.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 26.06.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राजो

4/423

की पालना में पत्रा नी धारते... 19/3/24 को पर वे।

खगार अधिकारी

9.1.2024

पत्रावली प्राप्त कनील उमी के पत्रावली
पत्रा पत्र लखन सिंगरी कनील उमी
नु उमीना पत्रा पत्रा वत उमीना पत्रावली
का रजादिज कान का सिंगरी सिंगरी
उमीना पत्रा व पत्रावली का पत्रावली
उमीना पत्रा 22 RTA व उमीना पत्रा
आधा पत्र रजादिज सिंगरी जावा
पत्रावली मंगल शुभ होय नम सभ
के शुभ वा 6 के सभान रहे

प्रधान सिंह

खगार अधिकारी